निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 6 / 2020 (अपील) निर्णय दिनांक 07.10.2020

अनवान

1. भगवानी देवी पुत्री उदा भील व्यस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
2. अंछीबाई पुत्री उदा भील व्यस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
3. वरदीबाई पुत्री उदा भील व्यस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
4. प्यारी बाई पुत्री उदा भील व्यस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर
5. शांतिलाल पिता उदा भील व्यस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर

.... **अपीलान्ट्स**

।। बनाम ।।

1. ग्राम पंचायत सुखवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुखवाडा पं.स. भदेसर

.... **रेस्पोन्डेन्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरण संख्या 129 दिनांक 20.04.2016 मौजा सुखवाडा ग्राम पंचायत सुखवाडा तहसील भदेसर

:: निर्णय ::

सारांश मामला **इस** प्रकार है कि अपीलांट की और से अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई कि:–

1. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा पारीत नामान्तरण 129 दिनांक 20.4.2016 न्याय नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम सुखवाडा पटवार हलका सुखवाडा तहसील भदेसर की खाता संख्या 78 पर दर्ज आराजी नम्बर 938, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 961, 963, 964 किता–10 कुल रकबा 2.92 हैक्टेयर खाता संख्या 384 पर दर्ज आराजी नमबर 951 , 952, 957 किता 03 कुल रकबा 1.14 हैक्टेयर एवं खाता संया 79 पर दर्ज आराजी नमबर

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

953 रकबा 0.05 हैक्टैयर कृषि भूमि का ना0क0 संख्या 129 दिनांक 20.04.2016 को अपीलान्ट के नाम खोला गया जिसमें अपीलान्ट संख्या 01 का नाम खाता संख्या 79 एवं 384 के राजस्व रेकार्ड में भगवानी देवी के बजाय भगुबाई एव खाता संख्या 78, 79, एवं 384 के राजस्व रेकार्ड में अंछी बाई के बजाय लाली बाई अंकित कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण खोलने से पहले अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया ना ही किसी प्रकार की जांच की और सीधे ही मनमाने तौर पर अपीलान्टस संख्या 01 भगवानी देवी के बजाय भगूबाई एवं अपीलान्ट व 02 का नाम अंछीबाई ` बजाय लाली बाई अंकित कर दिया है जिससे दुखी एवं व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से यह अपील पेश है ।

3. यह कि अपीलान्ट संख्या 01 का नाम भगवानी देवी और अपीलान्ट संख्या 02 का नाम अंछीबाई है और यही नाम इनके आधार कार्य राशन कार्ड में भी अंकित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजों को पढे एवं अवलोकन किये बिना ही एवं बिना नोटिस दिये बिना सूचना दिये उक्त नामान्तरकरण खोल दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. यह कि उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट संख्या 01 का भगवानी देवी के बजाय भागू बाई भगू बाई एवं अपीलान्ट संख्या 02 का नाम अंछीबाई के बजाय लाली बाई अंकित हो जाने के ारण अपीलान्ट को अपनी उक्त कृषि आराजीयात पर सरकार योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा हे जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत उक्त नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त कर उक्त तीनों खातों वाली आरजीयात के राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्ट का नाम उपरोक्तानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह अपील अपीलान्ट प्रस्तुत है ।

5. यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण में की गई अपीलान्ट के नाम की त्रृटि की जानकारी पूर्व में नहीं थी अपीलान्ट को इसकी सर्वप्रथम जानकारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 30.07.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई । जानकारी होने के पश्चात् बरसात आ जाने से खेती के कार्यो में व्यस्त हो गई एवं दिनांक 8 एवं 9 अगस्त को राजकीय अवकाश होने से एवं दिनांक 10 अगस्त 20 को अपीलान्टस के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में पैरवी हेतु बाहर चले जाने के कारण अपीलान्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सकी दिांक 11.08.2020 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्राप्त कर अपील तेयार करवाई और आज बिना किसी देरी के यह अपील जानकारी दिांक से अंदर मियाद पेश हे फिर भी अपील पेश करने में हुई उक्त देरी को क्षम्य ुरमाये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्राप्त पत्र मय शपथ पत्र के अलग से पेश हे

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा पारीत नामान्तकरण संख्या 129 दिनांक 20/04/2016 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट संख्या 01 का वास्तविक नाम भगवानी देवी एवं अपीलान्ट संख्या 02 का वास्तविक नाम अंछी बाई के नाम से इंतकाल फैसल फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें । का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेशी रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे ।

लायक अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी । लायक अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि :– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में सही नाम भगवानी देवी एवं अंछीबाई है जबकि ना0क0 संख्या 129 में भगवानी का नाम भागूबाई एवं अंछीबाई के स्थान पर लाली बाई गलत अंकित कर दिया गया है तथा उसी के अनुरूप ही राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम अंकित कर दिया गया है इसलिए ना0क0 संख्या 129 दिनांक 20.4.2016 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का नाम सही अंकित कराया जावे ।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ने अपील मिमों का खण्डन नहीं किया है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से जाहिर होता है कि ग्राम सुखवाडा का ना0क0 संख्या 129 जो कि मृतक उदा के विरासतीय नामान्तरकरण पटवारी द्वारा भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलान्ट संख्या 3, 4, 5 का नाम सहीं अंकित करना अपीलार्थी स्वीकार करते है तथा अपीलान्ट संख्या 1 व 2 नाम त्रृटिपूर्ण अंकित करने का अभिवचन करते है कि जिससे यह साबित होता है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत सुखवाडा ने ना0क0 संख्या 129 दिनांक 20.04.2016

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

को बिना सुनवाई करें ,बिना जांच पडताल के निर्णीत करने की भूल की जाना प्रतीत होता है । जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा ग्राम सुखवाडा के नामान्तरकरण संख्या 129 पर पारीत निर्णय दिनांक 20.04.2016 अपवादित होने से अपास्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार भदेसर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है मामलें का गुणावगुण पर परीक्षण करे तथा मृतक उदा पिता केला भील के वारीसान के सही नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु अज सरे नो निर्णय पारित करें ।

निर्णय सरे इजलास टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner